



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277193
CG-DL-E-15102026-277193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 819]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त स्कीम में, पैरा 4 के उप-पैरा (2) में,-

- (i) "ऐसी राशि तक ही सीमित होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपये (15,000/- रुपये) प्रति मास तक की मजदूरी तक सीमित होगा" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) पहले परंतुक में, "और केन्द्रीय सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 17 सितंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर-15025/01/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 527(अ) तारीख 29 जून, 2026 द्वारा प्रकाशित हुई और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 847 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2026 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

G.S.R. 890(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the Employees' Pension Scheme, 2026, namely:-

In the said Scheme, in paragraph 4, in sub-paragraph (2),-

- (i) for the words “such sum as may be specified by the Central Government”, the words “wages upto rupees fifteen thousand (Rs. 15,000/-) per month” shall be substituted;
- (ii) in the first proviso, the words “and the Central Government” shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 17th September, 2026.

[F. No. R-15025/01/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 527(E), dated the 29th June, 2026 and was last amended vide G.S.R. 847(E) dated 25th September, 2026.